<u>संघ लोक सेवा आयोग</u>

<u>प्रेस नोट</u>

<u>सम्मिलित भू-वैज्ञानिक एवं भूविज्ञानी परीक्षा, 2019</u>

संघ लोक सेवा आयोग दिनांक 28.06.2019 से 30.06.2019 तक देशभर में सम्मिलित भू-वैज्ञानिक एवं भूविज्ञानी परीक्षा, 2019 आयोजित करेगा। आयोग ने प्रवेश दिए गए उम्मीदवारों की सुविधा के लिए अपनी वेबसाइट (https://upsconline.nic.in) पर ई-प्रवेश पत्र अपलोड किए हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंटआउट ले लें। सम्मिलित भूवैज्ञानिक एवं भूविज्ञानी परीक्षा, 2019 के अंतिम परिणाम घोषित होने तक ई- प्रवेश पत्र को संभालकर रखें। <u>इस परीक्षा के लिए कोई पेपर प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा।</u>

परीक्षा में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को आवंटित परीक्षा स्थल पर अपने ई-प्रवेशपत्र का प्रिंटआउट प्रस्तुत करना होगा। उम्मीदवारों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि परीक्षा के प्रत्येक सत्र में बैठने के लिए ई-प्रवेश पत्र के साथ फोटो पहचान पत्र साथ में लेकर आएं, जिसका नंबर ई-प्रवेश पत्र में दिया गया है।

यदि ई-प्रवेश पत्र पर फोटो स्पष्ट नहीं है, धुंधला है या ई-प्रवेश पत्र पर उपलब्ध नहीं है, तब उम्मीदवारों को परीक्षा-स्थल पर परीक्षा देने के लिए ई-प्रवेश पत्र के प्रिंटआउट और फोटो पहचान पत्र सहित दो (2) समरूप फोटोग्राफ (प्रत्येक सत्र के लिए एक फोटो) के साथ-साथ एक वचनबंध लाना होगा।

ई-प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की विसंगति के मामले में, आयोग को तत्काल ई-मेल के माध्यम से (at email ID uscsp-upsc@nic.in) सूचित किया जाए, जिससे कि ऐसे मामलों में आयोग निर्णय ले सके।

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अंतिम समय की हड़बड़ी से बचने के लिए पर्याप्त समय रहते ही ई-प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट निकाल लें और "उम्मीदवारों हेतु महत्वपूर्ण अनुदेशों" को भी ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

<u>यह भी नोट कर लिया जाए कि परीक्षा स्थल पर प्रवेश, परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय से 10 मिनट पहले, अर्थात् पूर्वाह्न सत्र के लिए प्रात: 08:50 बजे तथा अपराह्न सत्र के लिए अपराह्न 01:50 बजे बंद कर दिया जाएगा। प्रवेश बंद होने के बाद किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा स्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।</u>

<u>उम्मीदवारों को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि उन्हें उनके ई-प्रवेश पत्र में उल्लिखित परीक्षा स्थल के अलावा किसी अन्य परीक्षा स्थल पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।</u>

उम्मीदवारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे अपने साथ <u>काला बॉल पॉइंट पेन</u> लेकर आएं क्योंकि उम्मीदवारों द्वारा उपस्थिति सूची <u>केवल काले बॉल पॉइंट पेन</u> से ही भरी जानी है।

उम्मीदवारों द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल के अंदर सामान्य या साधारण कलाई घड़ियों का उपयोग करने की अनुमति है। तथापि, किसी विशेष एक्सेसरी लगी हुई घड़ियों का प्रयोग, जिसका संचार उपकरण या स्मार्ट घड़ियों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, सख्त वर्जित हैं और उम्मीदवारों को ऐसी घड़ियों को परीक्षा कक्ष/हॉल के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है।

मोबाइल फोन (यहां तक कि स्विच ऑफ मोड में भी), पेजर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अथवा प्रोग्राम किए जाने योग्य डिवाइस अथवा स्टोरेज मीडिया जैसे पेन ड्राइव, स्मार्ट वॉच आदि अथवा कैमरा या ब्लूटूथ उपकरण अथवा कोई अन्य उपकरण अथवा संबंधित एक्सेसरी चालू अथवा स्विच ऑफ मोड में, जिनका परीक्षा के दौरान संचार उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, परीक्षा भवन में प्रतिबंधित हैं। इन अनुदेशों का किसी प्रकार से उल्लंघन किए जाने पर भावी परीक्षा/चयन से विवर्जन सहित, उम्मीदवारों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

कीमती/ महंगे सामान तथा बैग भी परीक्षा स्थल पर लाने की अनुमति नहीं हैं।

<u>संघ लोक सेवा आयोग</u>

नई दिल्ली - 110069 दिनांक 07.06.2019

संघ लोक सेवा आयोग

सम्मिलित भू-वैज्ञानिक एवं भूविज्ञानी परीक्षा, 2019

दृष्टि बाधित उम्मीदवारों (न्यूनतम 40% दृष्टि अक्षमता) तथा लोकोमोटर अक्षमता और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात वाले ऐसे उम्मीदवार, जिनकी कार्य-निष्पादन क्षमता (लेखन) प्रभावित (न्यूनतम 40% अक्षमता) है, द्वारा प्रतिपूरक समय तथा/अथवा स्क्राइब (लेखन सहायक) की सुविधा का लाभ उठाने संबंधी अनुदेश

1. सम्मिलित भू-वैज्ञानिक एवं भूविज्ञानी परीक्षा, 2019 का आयोजन 28 जून, 2019 से 30 जून, 2019 तथा किया जाएगा। 28 और 29 जून, 2019 को आयोजित होने वाली परीक्षा के दो सत्र होंगे और प्रत्येक सत्र तीन घंटे की अवधि का होगा। 30 जून, 2019 को केवल एक सत्र होगा जो पूर्वाहन 9.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक का होगा।

2. हालांकि, दृष्टि बाधित उम्मीदवार (न्यूनतम 40% दृष्टि अक्षमता) तथा लोकोमोटर अक्षमता और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात वाले ऐसे उम्मीदवार, जिनकी कार्य-निष्पादन क्षमता (लेखन) प्रभावित (40% तक या अधिक) है, उन्हें प्रत्येक पेपर में 20 (बीस) मिनट प्रतिघंटे की दर से अर्थात् कुल 60 (साठ) मिनट का प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा। साथ ही ये उम्मीदवार स्क्राइब (लेखन सहायक) की सहायता भी ले सकेंगे।

3. दृष्टि बाधित (वीसी) उम्मीदवार तथा लोकोमोटर अक्षमता और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (एलडीसीपी) वाले ऐसे उम्मीदवार, जिनकी कार्य-निष्पादन क्षमता (लेखन) प्रभावित (40% तक या अधिक) है, उन्हें निर्धारित प्रोफार्मा में “वचनबंध” देना होगा, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख होगा कि क्या उन्होंने प्रत्येक पेपर में प्रतिपूरक समय का लाभ उठाया है। यह प्रोफॉर्मा परीक्षा-स्थल पर परीक्षा-स्थल पर्यवेक्षक द्वारा प्रदान किया जाएगा।

4. ऐसे उम्मीदवारों को यह विकल्प भी उपलब्ध होगा कि या तो वे स्वयं अपने स्क्राइब लाएं या परीक्षा देने के लिए आयोग से स्क्राइब की व्यवस्था करने का अनुरोध करें।

5. वीसी/एलडीसीपी उम्मीदवारों द्वारा प्रयोग किए गए विकल्प के आधार पर, उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक पेपर हेतु लाए जाने वाले स्क्राइब के लिए ई-प्रवेश प्रमाण पत्र सृजित किया जाएगा।

जारी/-

6. जिन उम्मीदवारों ने स्वयं अपने स्क्राइब लाने का विकल्प चुना है वे यह नोट कर लें कि मान्य ई-प्रवेश प्रमाणपत्र के बिना उनके स्क्राइब को उनकी सहायता के लिए परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7. प्रत्येक दृष्टि बाधित/एलडीसीपी उम्मीदवार के सामने एक स्क्राइब बैठेगा और एक निरीक्षक स्क्राइब के बगल में बैठेगा।

8. उम्मीदवार द्वारा लाए जाने वाले स्क्राइब को चाहिए कि वह प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका पर छपे उम्मीदवारों हेतु अनुदेशों को स्पष्ट रूप से बोलकर पढ़े और उम्मीदवार को भी यह चाहिए कि वह यह सुनिश्चित करे कि स्क्राइब द्वारा उम्मीदवार की ओर से उत्तर लिखने की प्रक्रिया में उक्त अनुदेशों का पूर्णतया अनुपालन किया जाए।

9. स्क्राइब उम्मीदवार के लिए प्रश्नों को बोलकर पढ़ेगा और उम्मीदवार द्वारा बताए अनुसार उत्तर लिखेगा। उम्मीदवार स्क्राइब को यह स्पष्ट रूप से बताएगा कि क्या लिखा जाना है ताकि स्क्राइब तदनुसार उत्तर पुस्तिका में नीले/काले पेन से उत्तर लिख सके।

10. निरीक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि उत्तर पुस्तिका पर उत्तर के रूप में वही लिखा जाए, जो उम्मीदवार ने कहा है।

11. स्क्राइब ऐसा कोई इशारा, आवाज या कोई अन्य संवाद संकेत नहीं करेगा जिससे उम्मीदवार यह अनुमान लगा सके कि उसके द्वारा लिखाया जाने वाला उत्तर सही है अथवा नहीं। इस प्रकार का प्रयास किए जाने पर उम्मीदवार की अर्हता रद्द कर दी जाएगी और संबंधित उम्मीदवार और स्क्राइब, दोनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

12. स्क्राइब को परीक्षा भवन में परीक्षा-स्थल पर्यवेक्षक द्वारा प्रदान किए गए निर्धारित प्रोफार्मा में अपना विवरण अर्थात् नाम, पता, शैक्षणिक अर्हता आदि की जानकारी प्रदान करनी होगी। परीक्षा प्रारंभ होने से पहले स्क्राइब को यह प्रमाणित करना होगा कि उसके द्वारा प्रदान किया गया विवरण सत्य और सटीक है। स्क्राइब को इस आशय की उद्घोषणा पर भी हस्ताक्षर करने होंगे कि उसने वीसी/एलडीसीपी उम्मीदवारों के संदर्भ में आयोग के परीक्षा संबंधी अनुदेशों को पढ़ लिया है और वह इन अनुदेशों का अनुपालन करने का वचन देता है।

13. उम्मीदवार, परीक्षा के नियमों/अनुदेशों के अध्यधीन होगा और इनके उल्लंघन की स्थिति में उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।